मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

08 DEC 2015
6169

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /12/2016

क्रमांक /4579/2016/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. डी.सी. गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा. केन्द्र नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ द्वारा दिनांक 01.01.2015 का स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु आयुक्त, स्वास्थ्य को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। संचालनालय के आदेश दिनांक 23.11.2015 द्वारा डॉ. गुप्ता का आवेदन अमान्य कर उनकी अनुपस्थित अवधि दिनांक 01.02.2015 से 22.11.2015 तक कुल 295 दिवस "डाईजनॉन" घोषित कर कार्य पर उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई।

2/ संचालनालय के आदेश दिनांक 23.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के संबंध में दिनांक 21.11.2016 को प्रमुख सचिव द्वारा डॉ. गुप्ता को समक्ष में सुनवाई की गई।

3/ सुनवाई उपरांत डॉ. डी.सी. गुप्ता की अपील स्वीकार कर में पूर्ण विचारोपरांत डॉ. गुप्ता की दिनांक 01.02.2015 से 22.11.2015 तक की अनुपस्थित अवधि को "डायज–नॉन" बिना सेवा टूट के स्वीकृत किया जाता हैं। इस अवधि के लिये वेतन देय नहीं होगा लेकिन सेवा सतत मानी जायेगी और इस अवधि को नियमित सेवा अवधि प्रयोजन के लिये मान्य किया जायेगा।

(इच्छित गढ़पाले)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक /4083/4579/2016/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 08/12/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेव साईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
3. संबंधित सी0 एम0 एच0 ओ0/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
4. डॉ...म.प्र.।
5. स्टॉक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / अना.अनु / फा.न.311 / भोपाल दिनांक / / 2016,

आदेश

डॉ0 गिरीराज भुर्रा, मेडिकल आफिसर, जिला चिकित्सालय धार द्वारा दिनांक 15.08.2010 से 11.04.2012 तक की अनुपस्थिति अवधि के निराकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। संचालनालय के पत्र दिनांक 12.12.2011 के द्वारा डॉ0 गिरीराज भुर्रा, को अपना पक्ष आयुक्त, स्वास्थ्य के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिया गया। उक्त अवधि में डॉ0 भुर्रा, मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में पदस्थ थे।

संचालनालय के आदेश दिनांक 10.04.2012 के द्वारा जिला चिकित्सालय धार में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, धार के पत्र दिनांक 18.04.2012 के द्वारा डॉ0 भुर्रा ने दिनांक 12.04.2012 को जिला चिकित्सालय धार में ज्वाईन कर लिया था। प्रस्तुत आवेदन पर विचारोपरांत इनके अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि दिनांक 15.08.2010 से 11.04.2012 तक की अवधि को अकार्य दिवस (**dies-non**) घोषित किया जाकर प्रकरण को समाप्त किया जाता हैं।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित)

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृ.क.क्रमांक / 4 / शिका. / अना.अनु. / फा.न.311 / 151 /– भोपाल दिनांक 07/12/2016,

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यलय।
4. कलेक्टर, जिला धार म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, धार।
6. उप संचालक (विज्ञप्त / गोपनीय / लीगल) स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यलय।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धार।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक धार।
9. जिला कोषालय अधिकारी, धार।

10. डॉ0 गिरीराज भुर्रा, मेडिकल आफिसर,जिला चिकित्सालय धार।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आदेश पत्र की प्रति विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करें।
12. स्टॉक फाईल।

08/XII/16

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2016 /   भोपाल, दिनांक   /   / 2016

/ / आदेश / /

न्यायालीयन प्रकरण कमांक डब्ल्यू पी. 4579 / 2012 के तारतम्य में डॉ0 कनकलता मिश्रा तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी , सेवानिवृत्ति के समय छत्तीसगढ राज्य कार्यरत थी किन्तु वर्ष 1993 से 2000 तक अविभाजित मध्य प्रदेश मे कार्यरत रही है । दिनांक 12.10.1993 से 31.10..2000 तक की अवधि का निराकरण किया जाना है । शेष अवधि के निराकरण हेतु प्रकरण छत्तीसगढ राज्य को भेजा जाना है ।

डॉ0 कनकलता मिश्रा सेवा निवृत, चिकित्सा अधिकारी महारानी चिकित्सालय जगदलपुर का दिनांक 12.10.1993 से 31.10.2000 तक अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि को मूलभूत नियम 18 सहपठित मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के नियम 24 में किये गये प्रावधान के तहत अकार्य दिवस (डाईजनान) घोषित की जाती है । उक्त अवधि किसी प्रायोजन हेतु मान्य नहीं होगी।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u> ।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2016 / 1306   भोपाल, दिनांक 21/10/ 2016

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महाधिवक्ता / रजिस्टार जनरल माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर / बिलासपुर ।
2. प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर ।
4. उप संचालक स्वास्थ्य सेवाऐ लीगल स्थानीय कार्यालय मध्य प्रदेश ।
5. अधिष्ठाता / संयुक्त संचालक महारानी चिकित्सा महाविधालय जगदलपुर ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाऐ जगदलपुर संभाग छत्तीसगढ ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर ।
8. डॉ कनकलता मिश्रा वृन्दावनकालोनी जगदलपुर ।

25/10/16

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल–2/2016/ भोपाल, दिनांक / /2016

//आदेश//

डॉ. श्रीमती धनिला नारायण, प्रभारी उप संचालक द्वारा दिनॉक 15.10.2014 से 15.01.2015 की अवधि का विदेश प्रवास हेतु असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र स्वास्थ्य आयुक्त महोदय को प्रस्तुत किया गया। जिसे तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा अमान्य करने पर उसकी सूचना से डॉ. नारायण को तत्समय ही अवगत कराया गया था। किन्तु इसके उपरांत भी डॉ. नारायण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति तथा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर ही विदेश यात्रा की गई। उक्त कृत्य से यह ज्ञात होता हैं कि डॉ. नारायण अपने पदीय कर्त्तव्यों के प्रति उदासीन हैं तथा उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना की जाती हैं।

अतः उपरोक्त कदाचरण हेतु डॉ. धनिला नारायण, प्रभारी उप संचालक की विदेश प्रवास अवधि दिनॉक 20.12.2014 से 10.01.2015 को अवैतनिक अवकाश (Leave without pay) स्वीकृत किया जाता है ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल–1/2016/1590 भोपाल, दिनांक 28/9/2016

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. संचालक, नर्सिंग शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
2. प्रभारी संचालक, अंधत्व शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
3. अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय ।
4. उप संचालक, विज्ञप्त/शिकायत/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय
5. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय ।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय ।
7. डॉ. श्रीमती धनिला नारायण, प्रभारी उप संचालक, स्थानीय कार्यालय ।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि जारी आदेश विभागीय वेब साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
9. आदेश नस्ति ।

28/9/16

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

Order Sen-2014.doc2

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 16/09/2016

क्रमांक 3188/3436/2016/सत्रह/मेडि-1 : डॉ.सतीश पवार, निश्चेतना विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय आगर मालवा द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 6.8.16 द्वारा संचालनालय के आदेश दिनांक 24.12.12 द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि दिनांक 18.11.11 से 28.12.12 तक 407 दिवस को "डाइजनॉन" किये जाने पर अवकाश में परिवर्तन करने का निवेदन किया गया है।

2/- डॉ0 सतीश पवार ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि दिनांक 17.11.2011 द्वारा उनका स्थानान्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पालिया इन्दौर से जिला चिकित्सालय अलीराजपुर किया गया था तत्समय उनकी पुत्री छोटी होने पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो सका और पुनः उनका स्थानांतरण, दिनांक 29.12.12 द्वारा हास्पिटल आगर जिला शाजापुर हो-जाने पर उनके द्वारा शाजापुर में ज्वाईन किया। संचालनालय के आदेश दिनांक 24.12.2012 द्वारा डॉ0 पवार की उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को "डाइजनॉन" किया गया है। संचालनालय द्वारा डॉ0पवार की अनाधिकृत अवधि को डायजनॉन किये जाने पर अवकाश में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

3/- उपरोक्त से स्पष्ट है कि डॉ. पवार का स्थानान्तरण इन्दौर से अलीराजपुर हो जाने पर वे संभवतः स्थानान्तरित स्थान पर जाना नहीं चाहते और जब उनका पुनः स्थानान्तर आगर जिला शाजापुर हो गया तो तत्काल उनके द्वारा शाजापुर में पदभार संभाल लिया गया। डॉ0पवार द्वारा अपनी अनाधिकृत अनुपस्थिति की कोई सूचना आदि नहीं दी गई और न ही कोई आवेदन दिया और न ही अवकाश स्वीकृत कराया गया। इस स्थिति में ही संचालनालय द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति को "डायजनॉन" स्वीकृत किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1976 में अवकाश परिवर्तन करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस स्थिति में डॉ0पवार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 6.8.2016 निरस्त किया जाता है।

(सूरज डामोर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक 3189/3436/2016/सत्रह/मेडि-1

भोपाल, दिनांक 16/9/2016

प्रतिलिपिः-

1- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल ।
2- संभागीय संयुक्त संचालक, इंदौर/उज्जैन संभाग ।
3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाजापुर/अलीराजपुर/आगर, म.प्र.।
4- डॉ0सतीश पवार, मेडीकल आफिसर, निश्चेतना विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय आगर।
5- आर्डर फोल्डर/स्थापना लिपिक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
Dy Dir (P)
23 SEP 2016
555-6
आवक क्रमांक

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक /09/2016

क्रमांक /1426/2016/17/मेडि–1 :: डॉ. अशोक कुमार यादव, जब प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला होशंगाबाद के पद पर पदस्थ थे तत्समय उनके द्वारा शासन द्वारा संचालित योजनाओं में रूचि न लेने एवं कार्यरत अधिकारियों की बेबुनियाद शिकायत करने संबधी अनियमितताओं में विभागीय आदेश दिनांक 03.08.2011 को निलंबित किया गया एवं दिनांक 29.10.2011 को बहाल किया गया।

2/– डॉ. अशोक कुमार यादव, जब प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला होशंगाबाद द्वारा की गई अनियमितताओं में दिनांक 13.08.12 से आरोप पत्र जारी किये गये। श्री यादव से प्राप्त उत्तर पर आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल द्वारा भविष्य में बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने की समझाइश देते हुए प्रकरण समाप्त करने की अनुशंसा उपरांत विभागीय आदेश दिनांक 25.10.2013 द्वारा भविष्य में बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने की समझाईश देकर प्रकरण बिना किसी शास्ति के समाप्त किया गया।

3/– अतः राज्य शासन एतदद्वारा डॉ. यादव की उक्त निलंबन अवधि दिनांक 3.8.11 से 29.10.2011 तक सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 जनवरी 2005 की कंडिका–5 अनुसार मूलभूत नियम 54–बी के परिप्रेक्ष्य में निलंबन अवधि के संपूर्ण वेतन भत्ते (जीवन निर्वाह भत्ते की राशि समायोजन करते हुए) के भुगतान हेतु कर्तव्य अवधि मान्य की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर) 9/16
(गिरीश कुमार नेगी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक 3270/1426/2015/17/मेडि–1
भोपाल दिनांक 22/09/2016

प्रतिलिपिः–

1– विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वा.एवं परि.कल्याण विभाग भोपाल।
2– निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वा.एवं परि.कल्याण विभाग भोपाल।
3– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल।
4– संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें होशंगाबाद/उज्जैन।
5– उपसंचालक (विज्ञप्त)संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद/उज्जैन।
7– डॉ.अशोक कुमार यादव, उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं उज्जैन संभाग उज्जैन।
8– आर्डर फोल्डर/स्थापना लिपिक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 9/16
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

MIS
विज्ञापन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल,म.प्र.

कमांक/2/अवि0/सेल–5/2026/ भोपाल, दिनांक /जुलाई/ 2016

:: आदेश ::

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के आदेश कमांक स्थापना/2014/18219 दिनांक 22.10.2014 द्वारा श्री सुन्दरलाल अहिरवार भृत्य सिविल अस्पताल खाचरौद जिला उज्जैन का दिनांक 01.08.2009 से दिनांक 27.07.2012 तक कुल 746 दिवस की विभिन्न अवधियों का अवकाश स्वीकृत किया गया है ।

संभागीय सयुंक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाये उज्जैन संभाग उज्जैन के पत्र कमांक स्थापना/2015/ 5920 दिनांक 21.10.2015 को निरस्त करते हुए श्री सुन्दरलाल अहिरवार की उक्त अवकाश अवधि को डाईजनान किये जाने की अनुंशसा की है ।

श्री सुन्दरलाल अहिरवार भृत्य जिला उज्जैन दिनांक 01.08.2009 से दिनांक 27.07.2012 तक 746 दिवस तक अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे है ।

अतः उपरोक्त अवधि को अकार्य दिवस (डायजनान) घोषित किया जाता है । यह अवधि किसी प्रायोजन हेतु मान्य नही होगी ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल–5/2016/740-2 भोपाल दिनांक 27 जुलाई 2016

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संभागीय सयुंक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाये उज्जैन संभाग /सागर संभाग म.प्र ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन/सागर म.प्र ।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय सागर/उज्जैन म.प्र ।
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला उज्जैन म.प्र ।
5. श्री श्री सुन्दरलाल अहिरवार भृत्य सिविल अस्पताल खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र।

23/7/16

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल,म.प्र.

कमांक/2/अवि0/सेल–5/2016/ भोपाल, दिनांक /07/ 2016

:: आदेश ::

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये म.प्र के आदेश कमांक 02/अवि/सेल–टीपी/ 2012/992–जी दिनांक 13.07.2012 द्वारा श्री चकपाणी गुप्ता कम्पाउन्डर ,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरों (सिरमौर) जिला रीवा का स्थानान्तरण प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरोली के अधीन किया गया था ।

उक्त आदेश के पालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा के आदेश कमांक 8655–65 दिनांक 16.08.2012 द्वारा इन्हैं स्थानान्तरित स्थान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरोली के अधीन कार्यभार ग्रहण हेतु भारमुक्त कर दिया गया । इनके द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही किया गया । संचालनालय आदेश कमांक 829 दिनांक 26.09.2013 द्वारा उक्त आदेश निरस्त होने के फलस्वरूप श्री गुप्ता ने दिनांक 29.07.2013 को अपने मूल पद एवं पूर्व पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया गया ।

श्री चकपाणी गुप्ता कम्पाउन्डर ,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौ जिला रीवा द्वारा दिनांक 24.08.2012 से दिनांक 26.09.2013 तक कुल 399 दिवस का अवकाश चिकित्सकीय आधार पर अवकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण चिकित्सा प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुत किया , परीक्षण एवं विचारोपरान्त श्री गुप्ता की अवकाश अवधि दिनांक 24.08.2012 से दिनांक 26.09.2013 कुल 399 दिवस स्थानान्तरण बाधित है ।

अतः उपरोक्त अवधि को अकार्य दिवस (डायजनान) घोषित किया जाता है । यह अवधि किसी प्रायोजन हेतु मान्य नही होगी ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल–5/2016/636 - 9 भोपाल दिनांक 02.07. 2016

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संभागीय सयुंक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाये रीवा संभाग रीवा म.प्र ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा /सिंगरौली म.प्र ।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय रीवा म.प्र ।
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला रीवा म.प्र ।
5. श्री चकपाणी श्री चकपाणी गुप्ता कम्पाउन्डर ,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौ सिरमौर जिला रीवा म.प्र ।

02/07/16

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

–:: संशोधित आदेश ::–

भोपाल, दिनांक 16/03/2016

क्रमांक 705 /564/2015/सत्रह/मेडि–1 :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 211/564/2015/17/मेडि–1, दिनांक 29.01.2016 द्वारा डॉ. श्रीमती सुनीता जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिछोर, जिला शिवपुरी द्वारा अपील स्वीकार कर, संचालनालय के आदेश दिनांक 19.05.2014 को निरस्त करते हुए नियमानुसार अवधि का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त आदेश में टंकण त्रुटि के कारण श्रीमती सुनीता जैन की पदस्थापना जिला चिकित्सालय, शिवपुरी हो गई है।

अतः डॉ. सुनीता जैन की पदस्थापना जिला चिकित्सालय, शिवपुरी के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिछोर, जिला शिवपुरी पढ़ा जावे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16/3/16
(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

पृ. क्रमांक 706 **/564/2015/सत्रह/मेडि–1** भोपाल, दिनांक 16/03/2016

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफीसर/प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

---

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र., भोपाल,
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर,
4. डॉ. श्रीमती सुनीता जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिछोर, जिला शिवपुरी,
5. स्टॉक फाईल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

16/3/16
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

Rajkumar Order-2016